प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

कर सुधार का परिमाण जो जीएसटी में है, अधिक नहीं बताया जा सकता। प्रतिवेदन में अन्यत्र यह टिप्पणियां दी गई हैं कि व्यवसायों सहित सभी हितधारकों के प्रयास इस प्रणाली के पारगमन में प्रशंसनीय हैं। कि ऐसे एक प्रमुख पारगमन में प्रारंभिक कठिनाईयां होगी यह भी अप्रत्याशित नहीं है। अत: वे मुद्दे जो रह गये हैं और जिन्हें इस प्रतिवेदन में बताया गया है उनको हितधारकों द्वारा कमी निकालने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अन्तर/कमियां इस प्रमुख सुधार की पूरी क्षमता को साकार रूप देने के लिए रचनात्मक सुधारों के भाव से बताई गई है। प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दे सुधार के भाव के संगत हैं: कर के ऊपर कर के भार से उपभोक्ता को राहत प्रदान करना; जहां तक संभव हो प्रणाली को सरल बनाना; करदाताओं को एक आईटी आधारित प्रणाली उपलब्ध कराना जो अनुपालन भार में कमी करेगी; और व्यवसाय करने में भी सुविधा प्रदान करेगी; और इस परिप्रेक्ष्य में कर अधिकारी-करदाता प्रसंग में बिलकुल निम्नतम तक कमी करना।

कर के भुगतान और निपटान की प्रणाली जो जीएसटी के लिए परिकल्पित थी, वह एक सौ प्रतिशत बीजक-मिलान पर आधारित थी और इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाने और आईजीएसटी का निपटान भी बीजक मिलान पर आधारित था। दोनों में से अभी तक कुछ भी संभव नहीं है चूंकि बीजक मिलान प्रणाली को शुरू नहीं किया गया है। इस प्रतिवेदन में बीजक मिलान की महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में पहचान की गयी है जिससे इस प्रमुख कर सुधार के पूरे लाभ प्राप्त होंगे। यह केन्द्र और राज्य दोनों के कर राजस्व की रक्षा करेगा, यह आईजीएसटी के उचित निपटान की ओर अग्रसर करेगा, भले ही समाप्त न करे, परन्तु कर अधिकारी-करदाता प्रासंग में कमी लाएगा। वास्तव में मानवीय प्रणाली में समझा जाने वाला 'निर्धारण' भी आगे आवश्यक नहीं होगा (विवरणियां स्वयं ही एक ऐसी प्रणाली से तैयार की जा सकती हैं जो बीजकों का मिलान करती हों) और अपवंचन आदि के मामलों को, विशाल डेटा, जो करोड़ो बीजको से उत्पन्न होता है, का विश्लेषणात्मक उपकरणों और आरटीफिशीयल इंटेलिजेंस लागू कर के पता लगाया जा सकता है।